counselled with regard to their driving techniques.

(vii) Induction and extension of technical aid such as Auxiliary Warning Systems, Axle Counters, Route Relay Interlocking and Track Circuiting, etc.

कपूरथला कोच फैक्टरी में उत्पादन

2981. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 सितंबर, 1993 के "इकोनामिक" टाइम्स में "नो टेक पार्टनर इन यूनिट कोस्ट्स रेलवे डोयर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेल विभाग द्वारा संचालित कपूरथला कोच फैक्टरी में उत्पादन अभी भी पुरानी तकनीक से ही हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संबंध में नई तकनीक प्रयोग से इस फैक्टरी को अधिक लाभ मिलने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो आर्थिक लाभ के अतिरिक्त और कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की आशा है तथा इसके उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग न होने के कारण वार्षिक रूप से कितनी हानि हो रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कारखाने ने 1992-93 के दौरान सवारी डिब्बे के देशी अभिकल्प से, परन्तु उन्नत निर्माण तकनीकों से अपनी पूरी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली है।

(घ) ऊर्जा कुशल, साफ्ट राइड कोचों के एक नये अभिकल्प के लिए प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय सवारी डिब्बा निर्माताओं से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। नये अभिकल्प से जो मुख्य लाभ प्राप्त होंगे वे हैं, यात्रियों को बेहतर आराम, सवारी डिब्बों का वजन कम होना जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा की खपत कम होगी और उनकी भीतरी साज-सज्जा बेहतर होगी। इस नये अभिकल्प के उपलब्ध न होने के कारण इस कारखाने को कोई घाटा नहीं हुआ है क्योंकि देशी अभिकल्प से उत्पादन शुरू करके इसने 1992-93 के दौरान अपनी पूरी निर्धारित क्षमता हासिल कर ली है।

Disposal of Letters Received from Members of Parliament

2982. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the members of Parliament to the Ministry during the period 1.4.90 to 31.3.93 alongwith year-wise details thereof;

(b) what is the number of letters out of them that were acknowledged;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies respectively?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIFF):

(a) 1.4.90 to 31.12.90	8,751
1991	13,149
1992	12,692
1.1.93 to 31.03.93	2,489
TOTAL	37,081

(b) 24,520.

(c) 27,392.

(d) No such record is maintained.

Payment for bedding charges in Two-tier ACs.

2983. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI J.S. RAJU:
SHRI MISA R. GANESHAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Members of parliament are asked to pay bedding charges in two tier ACs;

(b) *if so, whether Govt. propose to abolish it; and*

(c) whether Govt. are aware that 1st Class AC Members of Parliament are provided with pillows and towels with no payment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) to (c). The entitlements of Members of Parliament are governed by the Salary, Allowances and pension of members of Parliament Act, 1954 as amended from time to time, which at present, does not provide for the supply of bed rolls free-of-charge. So far as I AC Class is concerned, the fare structure includes provision of bed roll.

रेलगाड़ियों में पैन्ट्री कार का आबंटन

2984. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीटर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में खानपान की व्यवस्था के लिए पेन्ट्री कारों की व्यवस्था की गई है और क्या इन पेन्ट्री-कारों का संचालन निजी ठेकेदार कर रहे हैं; यदि हां, तो इन ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(ख) लंबी दूरी तक चलने वाली ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी है जिनमें अब तक खानपान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इन गाड़ियों में खानपान की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका): (क) जी हां, मीटर लाइन की कई गाड़ियों में पेन्ट्रीकार सेवा मुहैया की गई है और इनमें से अधिकांश को निजी लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) नीति के तौर पर, यात्रियों की खानपान संबंधी आवश्यकताएं मार्गवर्ती स्थैतिक यूनिटों से पूरी की जाती हैं। लम्बी दूरी की उन कतिपय चुनिंदा गाड़ियों में पेन्ट्री-कारों की व्यवस्था की जाती है जहां चालन समय, ठहराव आदि के कारण स्थैतिक यूनिटों से संतोषजनक ढंग से खानपान की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं होता है, बशर्ते कि पेन्ट्री कार उपलब्ध हों और गाड़ियों में स्थान उपलब्ध हो। भारतीय रेलों पर पेंट्री कारों की अत्यधिक कमी है क्योंकि सवारी डिब्बों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय रेलों पर आमान परिवर्तन परियोजनाओं के कारण मीटर लाइन की यात्री गाड़ियों के परिचालन में भी काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं।

विवरण

गाड़ियों में पेन्ट्री कार का आबंटन

क्र॰ सं॰	गाड़ी का नाम और नं॰	के बीच चल रही	ठेकेदार का नाम
1.	4893/4894 जोधपुर मेल	जोधपुर-चुरू	मैसर्स गुलाब राय एण्ड कंपनी
2.	5313/5314 मरूधर एक्सप्रेस	जोधपुर-लखनऊ	मैसर्स बिन्जा राम
3.	9965/9966 भिलड़ी एक्सप्रेस	जोधपुर-अहमदाबाद	मैसर्स जौली आइस क्रीम फैक्टरी
4.	251/252 पैसेंजर	जोधपुर-फुलेरा	मैसर्स इंडियन कोआपरेटिव सोसायटी लि॰, जोधपुर
5.	1 जेपीजे/2जेपीजे पैसेंजर	जोधपुर-जैसलमेर	मैसर्स भंवर लाल भाटी एण्ड सन्स।
6.	1 एस बी/2एस बी पैसेंजर	समबड़ी-भिलड़ी	मैसर्स गनपत सिंह परिहार
7.	4727/4728 रनकपुर एक्सप्रेस	बीकानेर-अहमदाबाद	मैसर्स बद्री दास भाटी एण्ड सन्स
8.	1 बी एम/2 बी एम पैसेंजर	बाड़मेर-मुनाबाव	मैसर्स एम प्रताप
9.	4789/4790 बीकानेर एक्सप्रेस	दिल्ली-बीकानेर	मैसर्स इंडियन रेलवे को आप॰ सोसायटी लि॰, जोधपुर
10.	4709/4710 लिंक एक्सप्रेस	बीकानेर-चुरू	मैसर्स नारायण दास
11.	5816/5815 गुवाहाटी-नरकटियागंज एक्सप्रेस	गुवाहाटी-नरकटियागंज	मैसर्स पी॰ एन॰ गुप्ता एण्ड कंपनी
12.	5905/5906 कामरूप एक्सप्रेस	गुवाहाटी-डिब्रूगढ़	श्री आलोक कुमार घोष